न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–16, सुलतानपुर।

UPST040219052022

दाण्डिक वाद संख्या–6305/2022
राज्य बनाम अली मेंहदी
अपराध संख्या–367/2020
धारा–188, 269 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 महामारी अधिनियम 1897
थाना कोतवाली नगर, जिला सुलतानपुर।

आदेश

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–321 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रश्नगत अभियोग को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1042 डब्लू0सी0/सात–न्याय–5–2021–494 डब्लू0सी0/2021 न्याय अनुभाग–5 (फौजदारी) दिनांक 26.10.2021 के माध्यम से वाद के तथ्यों व उपलब्ध आख्या/पत्रादि पर समुचित विचारोपरान्त जनहित व न्याय हित में वापस लेने का निर्णय लिया गया है तथा अभियोजन को वापस लेने हेतु लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है। शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संलग्न प्रार्थना पत्र है। आवेदक प्रश्नगण अभियोग का प्राधिकृत/प्रभारी लोक अभियोजक है। मेरे द्वारा अभियोग से संबंधित तथ्यों का परिशीलन/परीक्षण किया गया है। तथ्यों के परिशीलनोपरान्त आवेदक भी शासन द्वारा निर्गत शासनादेश से संतुष्ट है। अतः शासनादेश के अनुसरण में प्रश्नगत अभियोग को वापस करने की अनुमति चाही गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रपत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्बन्धित विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आरोप पत्र में वर्णित अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा–188, 269 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 महामारी अधिनियम 1897 में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2022 को अन्तर्गत धारा–188, 269 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 महामारी अधिनियम 1897 के मामले में संज्ञान लेते हुए विधि अनुसार अभियुक्त को तलब किया गया।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा उपरोक्त मामले में अभियोजन वापस लेने हेतु धारा–321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन के प्रार्थना पत्र से विदित होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र लोक नीति और न्यायहित में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रकरण किसी राजनैतिक विद्वेश एवं गम्भीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र अवैधता से ग्रस्त नहीं है और न ही कानून की प्रक्रिया को बाधित करने हेतु दिया गया है। प्रस्तुत वाद वापस लिये जाने से समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–321 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्याय हित में स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–321 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार अभियोजन वापस लेने की सहमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त अली मेंहदी को मुकदमा अपराध संख्या–367/2020, धारा–188, 269 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 महामारी अधिनियम 1897, थाना कोतवाली नगर, जिला सुलतानपुर के मामले में उन्मोचित किया जाता है। यदि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त जमानत पर हो, तो उसके जमानतदारों को भी उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात दाखिल दफ्तर हो।

ह0/–

<u>दिनांकः–12 नवम्बर, 2022</u>

(रचना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–16, सुलतानपुर।
J.O Code U.P 1823